भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1925

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

1925. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर लंबित रखरखाव, चौड़ीकरण परियोजनाओं और संरचनात्मक सुरक्षा के संबंध में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति और दशा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, पुनः सतह बिछाने और रखरखाव के लिए किए गए और उपयोग किए गए कुल बजटीय आवंटन का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विशेषकर मानसून के मौसम के दौरान महत्वपूर्ण राजमार्ग गलियारों पर सड़क की बिगड़ती गुणवत्ता, गंभीर जलभराव, गड्ढों और पर्याप्त जल निकासी बुनियादी ढांचे की कमी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत रियायतग्राहियों और निजी संविदाकारों के निष्पादन की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित चरण-दर-चरण तंत्र का ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान खराब निर्माण गुणवत्ता के लिए दंडित किए गए संविदाकारों की संख्या कितनी है; और

(ङ) गड्ढा मुक्त गलियारे सुनिश्चित करने और सभी व्यस्त राष्ट्रीय पारगमन मार्गों पर विश्व स्तरीय संपर्क और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है।

देश में कुल 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से लगभग 36,000 किलोमीटर विकास के अधीन है, 58,000 किलोमीटर डीएलपी/रियायत अवधि के अंतर्गत है, और 41,000 किलोमीटर रखरखाव कार्य मुख्य रूप से अल्पकालिक रखरखाव संविदा (एसटीएमसी) और निष्पादन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) के तहत किया जा रहा है। इसमें बीआरओ द्वारा विभागीय रूप से रखरखाव किया जाने वाला 4,000 किलोमीटर की लंबाई भी शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 100% कवरेज को रखरखाव के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की ओर पूर्ण परिवर्तन की योजना के तहत 2026-27 के दौरान 20,000 किलोमीटर में रखरखाव कार्य करने का निर्णय लिया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए सार्वजनिक शिकायत पोर्टल, मोबाइल आधारित राजमार्ग यात्रा ऐप और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न माध्यमों से अभ्यावेदन प्राप्त किए जाते हैं, महत्वपूर्ण राजमार्ग कॉरिडोरों पर सड़कों की बिगड़ती गुणवत्ता, गंभीर जलभराव, गड्ढे और पर्याप्त जल निकासी अवसंरचना का अभाव जिनमें शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास/उन्नयन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय वर्षा, उच्च बाढ़ स्तर, जलवायु, भूभाग का प्रकार, मिट्टी की श्रेणी आदि पहलुओं को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, संविदाकार /रियायतग्राही द्वारा परियोजना के संविदा के कार्यक्षेत्र के अनुसार, मानक विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) कोड के अनुसार सड़क किनारे की पक्की/बिना पक्की नालियों, पुलियों, प्राकृतिक जल धाराओं/जल निकासी पर बने छोटे और बड़े पुलों आदि का निर्माण किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न शिकायतों/आपत्तियों/अभ्यावेदनों पर संज्ञान लेने के लिए एक आंतरिक कार्यतंत्र स्थापित किया है, जिसके तहत वेब पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिकारियों/रियायतग्राहियों /संविदाकारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लगभग 11,500 किलोमीटर की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब/क्षतिग्रस्त स्थिति की सूचना मिली है, जिन पर तत्काल रखरखाव के लिए ध्यान दिया गया है।

(घ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संविदाकारों/रियायतग्राहियों के रेटिंग ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें उनके पिछले निष्पादन के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत रियायतग्राही और निजी संविदाकार शामिल हैं। श्रेणी 1 (₹1,000 करोड़ से अधिक) के 66 संविदाकारों और श्रेणी 2 (₹300 - ₹1,000 करोड़) के 164 संविदाकारों के लिए टिप्पणियों हेतु अनंतिम रेटिंग भी प्रकाशित की गई है।

संविदा /रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ कमियों/क्षति की स्थिति में कार्रवाई की गई है, जिसके संविदा को समाप्त करना, जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाना, प्रतिबंधित करना/ब्लैकलिस्ट करना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि शामिल है। पिछले दो वर्षों में खराब गुणवत्ता वाले कार्य निष्पादन या अन्य निविदा उल्लंघन के लिए 21 रियायतग्राहियों /संविदाकारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है/दंडित किया गया है।

(ङ) सरकार ने मौजूदा एनएच नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के अलावा जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी एनएच खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का रखरखाव एवं मरम्मत (एम एंड आर), जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) संविदा दिए जा चुके हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों /संविदाकारों की जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार, टोल संचालन एवं हस्तांतरण (टीओटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के तहत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों के लिए भी रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की होती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने निष्पादन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव संविदा (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

सरकार ने मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों परियोजनाओं में गुणवत्ता की निगरानी और दोषों के निवारण की भी शुरुआत की है। इससे आंतरिक हितधारकों (फील्ड अधिकारी/इंजीनियर/संविदाकार /रियायतग्राही) को सीधे साइट से ही कुशल राजमार्ग परियोजना प्रबंधन में सुविधा मिलती है। इसके तहत दैनिक और मासिक दोषों की डिजिटल रिपोर्टिंग, निरीक्षण के लिए जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें प्रस्तुत करना और परीक्षण परिणामों को डिजिटल रूप से अपलोड करना संभव हो जाता है।

सरकार ने कार्य शुरू करने से पहले, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद प्रत्येक छह महीने के अंतराल पर नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आकलन करना अनिवार्य कर दिया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता का नियमित अंतराल पर आकलन करना संभव हो पाता है, जिससे (क) रियायत अवधि/डीएलपी के दौरान रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए रखरखाव आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सके। सड़क की स्थिति के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली को प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके और भी बेहतर बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय आश्रय स्थलों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी के विश्लेषण की भी शुरुआत की है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव के संबंध में श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा 30 जुलाई, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विवरण: -

राशि करोड़ रु. में

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25		2025-26	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	414	414	301	280	588	558
2	अरुणाचल प्रदेश	52	52	129	78	178	124
3	असम	251	251	445	431	393	393
4	बिहार	162	162	231	231	457	457
5	छत्तीसगढ	47	47	167	128	107	102
6	गोवा	7	7	20	12	40	34
7	गुजरात	725	725	705	626	1,217	1,181
8	हरियाणा	162	162	242	229	286	283
9	हिमाचल प्रदेश	172	172	165	161	320	307
10	झारखंड	161	161	244	177	275	258
11	कर्नाटक	384	384	603	470	423	391
12	केरल	7	7	217	204	131	112
13	मध्य प्रदेश	297	297	425	414	537	531
14	महाराष्ट्र	365	365	595	410	673	627
15	मणिपुर	26	26	91	90	50	50
16	मेघालय	91	91	92	71	56	55
17	मिजोरम	31	31	123	110	90	90
18	नगालैंड	76	76	103	94	132	116
19	ओडिशा	118	118	243	196	289	289
20	पंजाब	117	117	172	155	275	262
21	राजस्थान	619	619	1,281	1,252	965	946
22	सिक्किम	30	30	36	36	59	59
23	तमिलनाडु	340	340	448	439	596	589
24	तेलंगाना	142	142	165	97	350	297
25	त्रिपुरा	49	49	55	55	80	80
26	उत्तर प्रदेश	818	818	1,109	1,092	1,550	1,486
27	उत्तराखंड	181	181	266	213	305	270

							राशि करोड़ रु. में
क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
28	पश्चिम बंगाल	270	270	257	255	515	467
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40	40	41	41	11	11
30	दिल्ली / मुख्यालय	24	24	81	81	109	109
31	जम्मू और कश्मीर	65	65	88	82	180	170
32	लद्दाख	1	1	11	11	4	4
33	पुदुचेरी	9	9	4	0	2	2
34	बीआरओ	280	271	255	254	250	246

बीआरओ के लिए राज्यवार आवंटन/व्यय नहीं किया गया है।
